


न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

<p>प्रार्थी/अपीलांत श्री प्रमोद पुरोहित निवासी दांतराई तहसील रेवदर जिला सिरोही।</p>	<p>बनाम सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर</p>	<p>अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट मुकदमा नं. 32 वर्ष 2024</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 32 वर्ष 2024

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
25.07.2024	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को दिनांक 12.06.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांत द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर की गई शिकायत संख्या 112107811403312 के जबाव में दांतराई ग्राम पंचायत ने जबाव दिया है कि गोचर भूमि हटाने के लिए एक समिति बनाई है। इस समिति में कौन-कौन सदस्य है, उसकी सूची से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को दिनांक 12.06.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांत द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर की गई शिकायत संख्या 112107811403312 के जबाव में दांतराई ग्राम पंचायत ने जबाव दिया है कि गोचर भूमि हटाने के लिए एक समिति बनाई है। इस समिति में कौन-कौन सदस्य है, उसकी सूची से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

  
 (शुभम चौधरी)  
 जिला कलक्टर, सिरोही